

13/12/21

No Mask-No Entry



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अराँई, जिला अजमेर

E-Mail: sdoarain@gmail.com
sdoarain.rev@rajasthan.gov.in

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कैम्प कोर्ट लाम्बा दिनांक 31.12.2021 क्रमांक 2019 राजपत्र प्रपत्र 3000/2020

पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव (R.A.S.)

आदेश

पत्रावली राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प.12 (2) राज 1/2021 दिनांक 24.09.2021 की पालना में नियत तिथि से पूर्व तलब की जाकर आज पेश दिनांक 13.12.2021 को कैम्प लाम्बा में पेश हुई वादी उप. वादी ने जरिये अभिभाषक उक्त प्रा.पत्र वास्ते ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा स्थित कृषि भूमि खाता सं. 131 खसरा सं. 482/1, 482/2, 542/1 (अनुसार जमावदी सम्वत् 2071-74) में दर्ज गोरधन पुत्र नोरता व मु. दाबा बैवा नोरता कौम चमार सा. देह खातेदार रहिन केशरीमल वल्द कुन्दनमल महाजन सा. देह मुर्तेहीन के स्थान पर गोरधन पुत्र नोरता व मु. दाबा बैवा नोरता कौम चमार सा. देह खातेदार अग्रर रहिन केशरीमल वल्द कुन्दनमल महाजन सा. देह मुर्तेहीन हटवाने बाबत पेश विषय / हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची ने उक्त प्रा. पत्र अन्तर्गट द्वारा 43 रक. का अधि. व 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राची की खातेदारी में कृषि भूमि ग्राम लाम्बा में स्थित है जितना वर्तमान में रक्त दर्ज है। कैम्प कोर्ट द्वारा लाम्बा दिनांक 14.06.2018 में तहसीलदार अराँई द्वारा पेश जांच रिपोर्ट की उति संलग्न है जितने तहसीलदार द्वारा उक्तानुसार सुझी की अनुशंघाई साथ ही केशरीमल वल्द कुन्दनमल महाजन के वर्तमान एकमात्र वारिसान चैतन उकाश द्वारा पेश सहमति पत्र व शपथ पत्र की प्रति भी संलग्न है उपरोक्त संलग्न दस्तवेजों व राज. का. अधि. की द्वारा 43 (बचक) व धरा 136 भू. राज. अधि. के अनुसार प्राची का प्रथम पत्र स्वीकार होने योग्य से स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार अराँई को आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम लाम्बा भू. भूमि लाम्बा स्थित कृषि भूमि खा. सं. 131 खसरा सं. 482/1, 482/2, 542/1 में से रहिन केशरीमल वल्द कुन्दनमल महाजन सा. देह मुर्तेहीन का लोप कर उक्त भूमि को रहनमुक्त कर दें। प्रा. पत्र कासल धुमार लेकर नम्बर से उम हो



13/12/21
शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

